कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल म0प्र0

नवीन जिला न्यायालय भवन परिसर भोपाल में फोटोकापी दुकानों के संचालन हेतु निविदा आमंत्रण विज्ञप्ति

नवीन जिला न्यायालय भवन परिसर, भोपाल के बेसमेंन्ट में दुकान कमांक 01 वर्तमान में रिक्त हैं। उक्त रिक्त दुकान में फोटोकापी ,स्टेशनरी अथवा अन्य कार्य संचालन हेतु इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 21.06.2019 को शाम 5:00 बजे तक निर्धारित की गई है। निविदा दिनांक 22.06.2019 को शाम 4:00 बजे जिला रजिस्ट्रार कार्यालय भोपाल में निविदाकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी ।

फोटोकॉपी संचालन करने संबंधी विस्तृत विवरण एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :–

// विवरण एवं शर्तें //

01– दुकान हेतु रु. 50,000/– (रुपए पचास हजार) की एफ.डी.आर. जिला न्यायाधीश भोपाल के नाम से 01 वर्ष की अवधि के लिए आवंटित होने पर प्रस्तुत करना होगी।

02– प्रीमियम राशि (मासिक किराया) की न्यूनतम दर रु. 6,800/– प्रति माह की प्रथम तारीख को एडवांस देय होगा तथा लगातार तीन माह तक जमा न किये जाने की दशा में अमानत राशि जब्त कर वसूल की जाएगी तथा ठेका तत्काल निरस्त किया जाएगा।

03– व्यवसायिक प्रतिष्ठान लायसेंस के रूप में विशिष्ट कार्य हेतु एक वर्ष के लिए दिया जाएगा तथा प्राप्त निविदाओं में से जो सबसे उच्चतर निविदा होगी उसे मान्य किया जाएगा।

04– विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त सदस्यों तथा अनुभव प्राप्त बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

05– प्रतिष्ठान का पंजीयन नगर निगम, भोपाल संस्थापना अधिनियम के अंतर्गत कराया जाना आवश्यक होगा।

06– व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे, जिससे कि शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

07— व्यवसायिक प्रतिष्ठान द्वारा व्यवसायिक कार्य का निष्पादन न्यायालयीन कार्य दिवस समय में ही किया जाएगा।

08— व्यवसायिक प्रतिष्ठान के संचालक यदिकोई कर्मचारी नियुक्त करते हैं तो उन्हें श्रमविधि के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

09— जिला न्यायाधीश का एकमात्र विवेकाधिकार आवंटन के संबंध में अंतिम होगा।

10— व्यवसायिक प्रतिष्ठान (उन्हें आवंटित स्थान) में किसी भी प्रकार का स्थाई अथवा अस्थायी निर्माण/संरचना नहीं करेंगे। ऐसा कोई अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन हेतु आवश्यक हो तो पूर्व में जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित कराने के उपरांत ही कर सकेंगे।

11— व्यवसायिक प्रतिष्ठान हेतु आवंटित स्थान को साफ–सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगे तथा किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या ऑडियो सिस्टम का उपयोग नही करेंगे।

12— आवंटित व्यवसायिक प्रतिष्ठान को किसी अन्य को आवंटित नहीं कर सकेंगे।

13— दुकान संचालक को स्वयं के व्यय पर विद्युत मीटर प्राप्त करना होगा।

14— जिला न्यायाधीश, भोपाल को यह अधिकार होगा कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान को दिए गए लायसेंस किसी भी समय बिना कारण बताए एक माह का नोटिस देकर निरस्त कर दें और उस दशा में ऐसे आवंटितों को एक माह की अवधि में व्यवसायिक प्रतिष्ठान हटाना होगा अन्यथा जिला न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि ऐसे स्थान को रिक्त करा ले।

21.1.15

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल म०प्र०